## रत का The Gazette of India

**EXTRAORDINARY** 

भाग I—खण्ड 2 PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित **PUBLISHED BY AUTHORITY** 

सं. 3] No. 3]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2009/पौष 30, 1930

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2009/PAUSA 30, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन स्कंध)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2008

फा. सं. ए-12022/5/2008-पी ई-I.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के अधिनियम सं. 38) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, केन्द्रीय सरकार, श्री पी. डी. वाघेला, भारतीय प्रशासनिक सेवा (गुजरात: 86) को दिनांक 20-12-2008 (पूर्वाहन) से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, अध्यक्ष, काँडला पत्तन न्यास के रूप में नियुक्त करती है ।

राजीव गुप्ता, संयुक्त सम्निव

## MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT **AND HIGHWAYS**

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2009

F. No. A-12022/5/2008-PE.-I.—In exercise of the powers conferred under clause (a) of sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government appoints Shri P.D. Vaghela, IAS (GJ: 86) as Chairman, Kandla Port Trust for a period of five years w.e.f. 20-12-2008 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

RAJEEV GUPTA, Jt. Secy.